न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/71/2023 रजू दिनांकः 26.05.2023 रजि0 न0 2023/511

अपीलार्थीः–

श्री भगवान सहाय शर्मा पुत्र श्री रामजी लाल शर्मा, निवासी सैंथल पोस्ट–प्रागपुरा, तहसील रैणी, जिला अलवर (राज0)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलेक्टर (द्वितीय) ,अलवर (राजस्थान)

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

—:: निर्णय ::—

दिनांकः– 27.06.2023

1. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (संक्षेप में अधिनियम, 2005) की धारा–6 (1) के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी को आवेदन पत्र दिनांक 17.02.2023 प्रस्तुत कर वर्णित तथ्यों पर सूचना चाही गई, जो उन्हे उपलब्ध नही कराई गई। अतः वांछित सूचना उन्हे दिलवाई जावें।
2. अपीलार्थी द्वारा अपील पेश कर निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध नही करवाई, सूचना उपलब्ध करवाई जावें।
3. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वाँछित सूचना नहीं दिए जाने के संबंध में लोक सूचना अधिकारी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है, तो दिनांक 05.06.2023 को उपस्थित आवें।
4. अपीलार्थी उपस्थित नहीं आया तथा लोक सूचना अधिकारी से जवाब प्राप्त हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया। लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन अति0 जिला कलक्टर द्वितीय, अलवर ने जरिये पत्र कमांक लो.सू.अ./प्रथम अपील/2023/944 दिनांक 23.06.2023 के माध्यम से पत्र की प्रति संलग्न कर जवाब नोटिस पेश किया जिसके द्वारा अवगत कराया है की अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 17.02.2023 के माध्यम से परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कियान्वयन इकाई, सोहना हरियाणा को लिखे गये पत्रादि संबंधी 02 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी। उक्त आवेदन सक्षम प्राधिकारी एंव भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टरअ, प्रथम) अलवर को पत्रांक 446 दिनांक 27.02.2023 के माध्यम से सूचना प्रेषण हेतु अग्रेषित किया गया किन्तु समयान्तर में सूचना अप्राप्त रहने के कारण समय पर सूचना प्रेषित नहीं की जा सकी है। किन्तु अब सक्षम प्राधिकारी एवं भूमि अवाप्ति अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टरअ, प्रथम) अलवर के पत्रांक राजस्व/भूमि अवाप्ति/2023/822 दिनांक 07.06.2023 के माध्यम से कुल 05 पृष्ठीय सूचना प्राप्त हुई जो अपीलार्थी को प्रेषित की जा चुकी है। लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः अपील अपीलांट अस्वीकार किये जाने योग्य है।
5. अतः लोक सूचना अधिकारी के दिये गये जवाब एवं उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रति अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भिजवाई जावें।
6. निर्णय आज दिनांक 27.06.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।
7. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0))

(पुखराज सेन)
जिला कलक्टर अलवर (राज0)